

इलाहाबाद बैंक

**मनी मार्केट, डेब्ट मार्केट एवं इक्विटी मार्केट में ब्रोकर के रूप में सूचीबद्धता/सूचीबद्धता की
समीक्षा हेतु आवेदन पत्र**

1. फर्म का नाम	
2. संघटन	
3. स्थापना की तारीख	
4. निवल संपत्ति	31 मार्च 2010 को यथास्थिति रु. करोड़
5. क्या अपनी फर्म/कम्पनी हमारे बैंक से किसी ऋण सुविधा का लाभ उठा रही है	
1. कारपोरेट/पंजीकृत कार्यालय पता/टेलीफोन/फैक्स	
2. मुख्य डीलिंग रूम पता/टेलीफोन/फैक्स	
8. शाखा विवरण (यदि कोई हो)	
9. उन संस्थाओं की संख्या और नाम जहां आपकी फर्म/कम्पनी ब्रोकर/ट्रेडिंग सदस्य के रूप में सूचीबद्ध है	
10. उस स्टाक एक्सचेंज का नाम जहां आवेदक सदस्य है (सदस्यता कार्ड की प्रति संलग्न)	उदाहरणार्थ : एनएसई/ एनएसई डब्ल्यूडीएम/एनएससी डेरिवेटिव बीएससी
11. फर्म की गतिविधियां	उदाहरण के लिए : मर्चेन्ट बैंकर/प्राइमरी माकेट मोबिलाइजेशन, प्राइमरी डीलर, इक्विटी/डेब्ट/डेरिवेटिव में सेकेंडरी माकेट डीलिंग
12. सेबी सदस्यता संख्या (प्रति संलग्न)	
13. समूह कंपनी (गतिविधि का ब्योरा)	
14. पार्टनर/निदेशक/प्रोपराइटर के नाम (प्रोफाइल संलग्न)	
15. मुख्य प्रबंधन कार्मिक का संक्षिप्त प्रोफाइल (डीलर सहित: विनिर्दिष्ट करें कि क्या व्यावसायिक योग्यता वाले पार्टनर/निदेशक/कर्मचारियों की सेवाएं नियमित आधार पर उपलब्ध हैं)	
16. डीलरों के नाम और उनके नमूना हस्ताक्षर	
17. संविदा नोट एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु	

प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम और उनके नमूना हस्ताक्षर	
18. प्रमुख शेयरधारकों की सूची (आवेदकों की पूँजी के 5% से अधिक रखने वाले)	
19. क्या संविदा भंग अथवा प्रतिभूति लेनदेन में दलाली/मध्यस्थ गतिविधि से उत्पन्न किसी अन्य कारण से फर्म/कम्पनी अथवा किसी सहयोगी फर्म/कम्पनी के विरुद्ध कोई कानूनी वाद दाखिल किया गया है अथवा लम्बित है	
20. क्या साझेदारों/निदेशकों को विगत में कभी भी दिवालिया घोषित किया गया है।	
21. विगत 3 वर्षों में ट्रेडिंग का परिमाण { लेखापरीक्षित तुलनपत्र (नए ब्रोकर हेतु पिछले 3 वर्षों का और मौजूदा सूचीबद्ध ब्रोकर हेतु 1 वर्ष का)}	2007-08 2008-09 2009-10 डेट मार्केट इक्विटी मार्केट प्राइमरी प्लेसमेंट कुल
22. आयकर पैन संख्या और सर्किल/वार्ड	
23. प्रकाशनों की सूची, यदि कोई हो	
24. आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा	
25. कोई अन्य सूचना (कृपया विनिदिष्ट करें)	
26. अतिरिक्त सूचना <ul style="list-style-type: none"> आपकी कम्पनी को आज तक भारिबैं/सेबी द्वारा डीलिस्टेड किया गया है। क्या आपने किसी स्टाक एक्सचेंज सेटलमेंट में कोई चूक की है, यदि हां तो विवरण दें। क्या सेबी क्या ने आपकी कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरंभ की है। क्या आपकी कम्पनी 1992;2001 के घोटाले अथवा किसी अन्य घोटाले में शामिल थी। 	

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। जब कभी उपर दी गई सूचना में कोई परिवर्तन होगा मैं/हम इसकी सूचना आपको दूंगा/देंगे
हम सहमत हैं कि

- 1 नेशनल स्टाक एक्सचेंज के निर्धारित फार्मट में इलाहाबाद बैंक के पक्ष में पर्याप्त रूप से स्टाम्पित संविदा नोट जारी करना है
- 2 इलाहाबाद बैंक से पूर्व में लिखित सहमति प्राप्त किए बिना इलाहाबाद बैंक के साथ प्रिंसिपल के रूप में कार्य नहीं करेंगे
- 3 लेनदेन से संबंधित कोई भी संप्रेषण हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसी तीसरे पक्षकार को नहीं किया जाएगा और लेनदेन से संबंधित किसी गोपनीय सूचना को तब

तक प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक कि स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य सांविधिक प्राधिकारियों की विशेष आवश्यकता के अनुसार ऐसा किया जाना जरूरी हो।

- 4 किसी प्राधिकारी को उक्त गोपनीय सूचना देने से पहले हम इलाहाबाद बैंक को सूचित करेंगे।
- 5 यदि फर्म/कम्पनी को ब्रोकर और/अथवा प्रिंसिपल के रूप में काम करने से सेबी अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, बैंक, संस्था द्वारा निलंबित/डिबार किया जाता है तो हम इलाहाबाद बैंक को इसकी सूचना देंगे।
- 6 यदि फर्म/कम्पनी की सदस्यता निलंबित/समाप्त की जाती है/स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इसके विरुद्ध कोई कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाती है तो हम इलाहाबाद बैंक को इसकी सूचना देंगे।

हम घोषणा करते हैं कि

- 1 प्रतिष्ठान और/अथवा इसके किसी साझेदारों/निदेशकों को दिवालिया नहीं माना गया है अथवा प्रतिष्ठान और/अथवा इसके किसी साझेदारों/निदेशकों को दिवालियापन का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
- 2 प्रतिष्ठान और/अथवा इसका कोई भी साझेदार/निदेशक कभी भी दिवालिया साबित नहीं हुआ है।
- 3 प्रतिष्ठान और/अथवा इसके किसी साझेदारों/निदेशकों को धोखाधड़ी अथवा बेईमानी में लिम्पट होने जैसे अपराध का दोषी नहीं पाया गया है।
- 4 प्रतिष्ठान और/अथवा इसके किसी साझेदारों/निदेशकों ने कभी भी ऋण की पूर्ण चुकौती से कम चुकौती के चलते लेनदारों को नहीं जुटाया है।
- 5 प्रतिष्ठान और/अथवा इसके किसी साझेदारों/निदेशकों को स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी अथवा अन्य सांविधिक निकायो द्वारा कभी भी निष्कासित नहीं किया गया है अथवा चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- 6 प्रतिष्ठान और/अथवा इसके किसी साझेदारों/निदेशकों के विरुद्ध किसी भी स्टॉक एक्सचेंज ने कोई अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई है/विचाराधीन नहीं है।
- 7 प्रतिष्ठान और/अथवा इसके किसी साझेदारों/निदेशकों में से कोई भी प्रतिभूति घोटाले में शामिल नहीं है।
"प्रतिष्ठान" से तात्पर्य है व्यक्ति, प्रोपराइटरी फर्म, साझेदारी फर्म, पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी आदि।

(एकल प्रोपराइटर/साझेदार/निदेशक का हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :